न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 77/2013

1 भागीरथ (मृत)।
1/1 श्रीमती मक्खनी देवी बेवा भागीरथ।
1/2 गोपाल पुत्र भागीरथ।
1/3 लालचन्द पुत्र भागीरथ।
1/4 सुरेश पुत्र भागीरथ।
1/5 अमरावती पुत्री भागीरथ।
2 केदार पुत्र सुण्डा।
3 द्रोपदी देवी स्त्री जगदीश उर्फ जुगल।
4 कमलेश कुमार पुत्र जगदीश उर्फ जुगल।
5 रामस्वरूप पुत्र सुण्डा समस्त जाति कुम्हार निवासीगण पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2012
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर उनवानी भागीरथ
बनाम राज्य सरकार मुकदमा नम्बर 88/2008 दावा
उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टि.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 04.03.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 88/2008 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय में वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर बारानी तृतीय तन ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर स्थित है जिसका गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है। भूमि खसरा नम्बर 945 सम्पूर्ण पूर्व में राजस्व ग्राम पिपराली तथा वर्तमान राजस्व ग्राम पुरोहित का बास का नम्बर तरमीम होकर गत खसरा नम्बर 945 के कई बटा नम्बर अंकित होते हुए भिन्न—भिन्न व्यक्तियों की खातेदारी में अंकित थे, जिनमें अपीलांट्स/वादीगण का विवादित वर्तमान खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 थे, गत खसरा नम्बर 945 के बने बट्टा नम्बरों की सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की वजह से विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के बजाय गत खसरा नम्बर 945 अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत व मौके के विपरित है, गत खसरा नम्बर 945/47 का ही नम्बर बना है, इसी भांति

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट की भूमि गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का वर्तमान खसरा नम्बर 3553 रकबा 0.68 हैक्टेयर अंकित कर दिया, जो सर्वथा गलत है, खसरा नम्बर 3553 गैर मुमकिन रास्ता है जो अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 से दो खेत खसरा नम्बर 3556 व 3554 छोड़कर पश्चिम साईड में स्थित है, अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 से पश्चिमी साईड की भूमि खसरा नम्बर 3556 भागीरथ, जमनालाल पुत्र छोटू, महावीर, गोविन्दा, रामप्रताप पुत्रगण मांगू चेजारा निवासी पुरोहित का बास की खातेदारी की भूमि है जिसकी किस्म भी सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सिवायचक अंकित कर दी थी, जो भागीरथ आदि द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दावा संख्या 101/1999 अनुवानी भागीरथ आदि बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रस्तुत करने बाद सुनवाई दिनांक 30.04.2003 को दावा डिक्री किया गया था जिसकी पालना में भूमि खसरा नम्बर 3556 की खातेदारी उनके हक में वापिस अंकित हो चुकी है, अपीलांट की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के खसरा नम्बरान जो सम्पूर्ण गत खसरा नम्बर 945 में से बने हुए नम्बरान है, जिनकी खातेदारी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के हक में अंकित है, अपीलांट्स ने विवादित आराजी की चालू जमाबन्दी ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से लेने पर गलत खातेदारी का ज्ञान हुआ, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स ने दावा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन प्रस्तुत किया, रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रतिवादी बावजूद इत्तला हाजिर नही आने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में ली। दौराने दावा तहसीलदार महोदय से विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई व अपीलांट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की जिसका प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की और से कोई खण्डन न होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार महोदय की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपनी कल्पना व कयास के आधार पर निर्णय जैर अपील में लिख दिया कि वादीगण के वाद की पृष्टी में कोई

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जबकि अपीलांट द्वारा समस्त पुराना व नया राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट से दावा पूर्णतया साबित होते हुए भी अपने निर्णय दिनांक 29.08.2012 के विरूद्व कानून वादीगण/अपीलांट्स का दावा खारिज फरमा दिया। अत योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2012 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर बारानी तृतीय तन ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर स्थित है जिसका गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है। भूमि खसरा नम्बर 945 सम्पूर्ण पूर्व में राजस्व ग्राम पिपराली तथा वर्तमान राजस्व ग्राम पुरोहित का बास का नम्बर तरमीम होकर गत खसरा नम्बर 945 के कई बटा नम्बर अंकित होते हुए भिन्न–भिन्न व्यक्तियों की खातेदारी में अंकित थे, जिनमें अपीलांट्स/वादीगण का विवादित वर्तमान खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 थे, गत खसरा नम्बर 945 के बने बट्टा नम्बरों की सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की वजह से विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के बजाय गत खसरा नम्बर 945 अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत व मौके के विपरित है, गत खसरा नम्बर 945/47 का ही नम्बर बना है, इसी भांति अपीलांट की भूमि गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का वर्तमान खसरा नम्बर 3553 रकबा 0.68 हैक्टेयर अंकित कर दिया, जो सर्वथा गलत है, खसरा नम्बर 3553 गैर मुमकिन रास्ता है जो अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 से दो खेत खसरा नम्बर 3556 व 3554 छोड़कर पश्चिम साईड में स्थित है, अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3574 से पश्चिमी साईड की भूमि खसरा नम्बर 3556 भागीरथ, जमनालाल पुत्र छोटू, महावीर, गोविन्दा, रामप्रताप पुत्रगण मांगू चेजारा निवासी पुरोहित का बास की खातेदारी की भूमि है जिसकी किस्म भी सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सिवायचक अंकित कर दी थी, जो भागीरथ आदि द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दावा संख्या 101/1999 अनुवानी भागीरथ आदि बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रस्तुत करने बाद सुनवाई दिनांक 30.04.2003 को दावा डिक्री किया गया था जिसकी पालना में भूमि खसरा नम्बर 3556 की खातेदारी उनके हक में वापिस अंकित हो चुकी है, अपीलांट की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के खसरा नम्बरान जो सम्पूर्ण गत खसरा नम्बर 945 में से बने हुए नम्बरान है, जिनकी खातेदारी भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के हक में अंकित है, अपीलांट्स ने विवादित आराजी की चालू जमाबन्दी ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से लेने पर गलत खातेदारी का ज्ञान हुआ, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स ने दावा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन प्रस्तुत किया, रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रतिवादी बावजूद इत्तला हाजिर नही आने पर उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में ली। दौराने दावा तहसीलदार महोदय से विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई व अपीलांट ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की जिसका प्रतिवादी/रेस्पोडेंट की और से कोई खण्डन न होते हुए भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार महोदय की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही अपनी कल्पना व कयास के आधार पर निर्णय जैर अपील में लिख दिया कि वादीगण के वाद की पृष्टी में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जबकि अपीलांट द्वारा समस्त पुराना व नया राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट से दावा पूर्णतया साबित होते हुए भी अपने निर्णय दिनांक 29.08.2012 के विरूद्व कानून वादीगण/अपीलांट्स का दावा खारिज फरमा दिया। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सिवायचक है विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक भूल नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर बारानी तृतीय तन ग्राम पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर स्थित है जिसका गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा है। भूमि खसरा नम्बर 945 सम्पूर्ण पूर्व में राजस्व ग्राम पिपराली तथा वर्तमान राजस्व ग्राम पुरोहित का बास का नम्बर तरमीम होकर गत खसरा नम्बर 945 के कई बटा नम्बर अंकित होते हुए भिन्न–भिन्न व्यक्तियों की खातेदारी में अंकित थे, जिनमें अपीलांट्स/वादीगण का विवादित वर्तमान खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 थे, गत खसरा नम्बर 945 के बने बट्टा नम्बरों की सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा की गई गलती की वजह से विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 की किस्म गलत अंकित करने के अलावा विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 3574 के गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के बजाय गत खसरा नम्बर 945 अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत व मौके के विपरित है, गत खसरा नम्बर 945/47 का ही नम्बर बना है, इसी भांति अपीलांट की भूमि गत खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का वर्तमान खसरा नम्बर 3553 रकबा 0.68 हैक्टेयर अंकित कर दिया, जो सर्वथा गलत है, खसरा नम्बर 3553 गैर मुमकिन रास्ता है जो अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 से दो खेत खसरा नम्बर 3556 व 3554 छोड़कर पश्चिम साईड में स्थित है, अपीलांट्स की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 से पश्चिमी साईड की भूमि खसरा नम्बर 3556 भागीरथ, जमनालाल पुत्र छोटू, महावीर, गोविन्दा, रामप्रताप पुत्रगण मांगू चेजारा निवासी पुरोहित का

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बास की खातेदारी की भूमि है जिसकी किस्म भी सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सिबायचक अंकित कर दी थी, जो भागीरथ आदि द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दावा संख्या 101/1999 अनुवानी भागीरथ आदि बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रस्तुत करने बाद सुनवाई दिनांक 30.04.2003 को दावा डिक्री किया गया था जिसकी पालना में भूमि खसरा नम्बर 3566 की खातेदारी उनके हक में वापिस अंकित हो चुकी है, अपीलांट की विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 व इसके चारों और के खसरा नम्बरान जो सम्पूर्ण गत खसरा नम्बर 945 में से बने हुए नम्बरान है, जिनकी खातेदारी भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के हक में अंकित है।

इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं अपील न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 3574 तन ग्राम पुरोहित का बास का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 3574 प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 945 से बना है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 945, खसरा गिरदावरी चतुर्थ वर्षिय संवत 2011 से 2014 में सुण्डा पुत्र छोटु चेजारा के नाम दर्ज है। गिरदावरी संवत 2015 से 2018 में सुण्डा पुत्र छोटु दर्ज है। संवत 2016 से 2019 में, 2020 से 2023, 2023 से 2026 में सुण्डा पुत्र छोटु दर्ज है। संवत 2027 से 2030 में भागीरथ, केदार, जगदीश, रामस्वरूप पुत्र सुण्डा दर्ज है। यही इन्द्राज संवत 2031 से 2034 में दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2015 से 2018, 2022 से 2025 में खातेदारी सुण्डा पुत्र छोटु के नाम दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 642 से खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का विरासत का नामान्तकरण भागीरथ, केदार, जगदीश, रामस्वरूप के नाम 28.01.1969 को दर्ज हुआ है। इसके उपरान्त 2026 से 2029, 2030 से 2035 में विवादित भूमि भागीरथ, केदार, जगदीश, रामस्वरूप के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पुरोहित का बास के खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर सिवायचक से संबंधित है। जिसकी फर्द मौका व रिकार्ड दिनांक 26.08.2008 को तहसील कार्यालय में पूर्व से ही पेश की जा चुकी है। ग्राम पुरोहित का बास के नये खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 945 से बने है। पुछताछ के अनुसार नये खसरा नम्बर 3574 व 3556 पुराने खसरा नम्बर 945/47 व 945/48 से बने है। पुराने खसरा नम्बर 945/47 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 945/48 रकबा 8 बीघा के नये खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर व 3556 रकबा 0.70 हैक्टेयर बने है। पुराने खसरा नम्बर की तुलना में नये खसरा 3574 का रकबा 0.24 हैक्टेयर तथा नये खसरा नम्बर 3556 का रकबा 0.32 हैक्टेयर कम है। अत नये खसरा नम्बर 3574 के 1.58 हैक्टेयर की खातेदारी पुराने खसरा नम्बर 945/47 के खातेदार भागीरथ, केदार, जगदीश, रामस्वरूप पिता सुण्डा सा देह 1/2 हिस्सा के नाम शुद्व किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3574 गत खसरा नम्बर 945/47 से बना है। खसरा नम्बर 945/47 पूर्व में वादीगण अपीलांट एवं उनके पिता सुण्डा की खातेदारी में दर्ज रही है। यह भूमि भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश एवं अधिकारिता के राजस्थान सरकार के नाम गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर दी है। भू–प्रबन्ध विभाग की यह कार्यवाही विधि विरूद्व होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में समस्त राजस्व रिकार्ड एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर वाद वादी खारिज किया है। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार कर वादी को भूमि खसरा नम्बर 3574 रकबा 1.82 हैक्टेयर किस्म आराजी बारानी तृतीय तन ग्राम पुरोहित का बास तहसील सीकर का खातेदार काश्तकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

घोषित करते हुये भूमि के लगान की दर निर्धारित कर खातेदारी वादीगण के हक में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर